न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

श्रीमति सरला टण्डन पत्नि स्वं0 रवि टण्डन निवासी मालवीय नगर सैक्टर–1 जयपुर हाल खात्री धर्मशाला कैलादेवी तहसील व जिला करौली – प्रार्थिया

बनाम

1. कल्लन पुत्र नन्दे माली निवासी कैलादेवी तहसील व जिला करौली
2. सरपंच ग्राम पंचायत लौहर्रा तहसील व जिला करौली (राज.) – अप्रार्थीगण

उपस्थिति–श्री गोविन्द चतुर्वेदी, एडवोकेट प्रार्थिया
श्री अशफाक अहमद, एडवोकेट अप्रार्थी नं. 1

निगरानी धारा 97 राज0 पंचायत एक्ट प्रकरण सं. 08 / 13 रजू दिनांक 01.07.2013 फैसला दिनांक 10.12.2014 न्यायालय श्रीमानजी में प्रार्थनापत्र बाबत पुनर्विलोकन धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक 14.10.2019

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत लौहर्रा द्वारा खसरा संख्या 2861 किस्म जंगलात (ऊसर) भूमि में दिनांक 16.03.1986 को जारी किये गये पट्टे के विरुद्ध अदालत हाजा में पेश निगरानी दिनांक 10.12.2014 को खारिज फरमाये जाने के विरुद्ध पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। ग्राम पंचायत का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान में प्रार्थीया द्वारा विपक्षी सं. 1 के पट्टे दिनांक 16.03.86 को निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश कर अवगत कराया गया था कि विपक्षी का पट्टा कतई फर्जी है जो पंचायत नियमों के विपरीत साजिश तैयार किया गया है जिसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में नही है। ऐसा प्रमाण पत्र तत्कालीन सरपंच श्री हीरालाल ने जारी किया गया था जिसका अंकन दीवानी प्रकरण के निर्णय में मौजूद है। इस प्रकरण में भी अदालत ने विपक्षी सं. 2 का रिकार्ड तलब किया था उसमें भी पट्टे जारी किये जाने का कोई इन्द्राज नही है तथा कथित पट्टे में खसरा नम्बर 2861 का वर्णन है जो अप्रार्थीगण का स्वीकृत तथ्य है। खसरा नम्बर 2861 आबादी भूमि ना हो कर जंगलात व झांड बन भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिस बाबत प्रार्थीया ने सन 1986 व वर्तमान दोनो जमाबंदी रिकार्ड पर पेश कर अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत मात्र आबादी भूमि का ही पट्टा दे सकती है उसके अलावा अन्य भूमि का पट्टा देने का उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। रिकार्ड राजस्व से भूमि जंगलात व झाड वन की है इस प्रकार पट्टा कतई कपट पूर्ण होने से शून्य हैं। जिससे कोई अधिकार विपक्षी सं. 1 को प्राप्त नही होते है। निगरानी के लिये कोई परिसीमा नही है तथा कपटपूर्ण व गैर कानूनी के पट्टे लिये कोई परिसीमा नही है जिन्हें कभी भी खारिज किया जा सकता है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 1 के मध्य दीवानी वाद लम्बित होना व पूर्व में कल्लन बनाम रामचरण फैसला से पट्टे के निरस्तीकरण का कोई प्रभाव नही पडता है पट्टा निरस्त करने का अधिकार श्रीमानजी को है। यह

जिला कलक्टर
करौली

निगरानी वाद बहस उभय पक्षकारान दिनांक 10.12.2014 को खारिज फरमाई गयी है। जिसके फैसल होने के बाद प्रार्थीया को अपने पुराने कागजात में तथाकथित पट्टा जारी करने वाले सरपंच गणपत पुत्र देवीलाल मीना निवासी लखारू के शपथ पत्र की फोटो प्रति उसे अब मिली है। यह शपथ पत्र श्री गणपत सरपंच ने न्यायालय मुंसिफ करौली खात्री धर्मशाला बनाम मदन मोहन शर्मा ने देकर अवगत कराया था कि कैलादेवी में खसरा नं 2860 आबादी है जो ग्राम पंचायत की भूमि है तथा खसरा नं. 2861 सिवायचक होना अभिकथित किया और उसमें लिखा कि खसरा नं. 2861 का कोई पट्टा मैने नही दिया है। यह शपथ पत्र उसने दिनांक 04.07.1998 को नोटेरी पब्लिक स्वं. श्री रेवती प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट से प्रमाणित कराया जिसकी पहचान सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट द्वारा की गई। इस शपथ पत्र से यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित है कि गणपत सरपंच ने खसरा नं. 2861 में कोई पट्टा किसी को जारी नही किया है। विपक्षी सं. 1 का पट्टा भी खसरा नं. 2861 का है उस पर गणपत सरपंच के हस्ताक्षर है इस प्रकार यह पट्टा पूर्णतया फर्जी साबित होता है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लौहर्रा के शपथ पत्र दिनांक 04.07.1998 से यह तथ्य भली–भांति प्रमाणित है कि उसने खसरा नंबर 2861 में कोई पट्टा जारी नही किया है उसने मात्र खसरा नं. 2860 ग्राम पंचायत आबादी भूमि से ही पट्टे जारी किये है इसलिये विपक्षी का पट्टा कतई फर्जी व जंगलात झाड व वन भूमि होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत को मात्र आबादी भूमि में ही पट्टा देने का अधिकार है अन्य भूमि में यह पट्टा जारी नही कर सकती है। खसरा नंबर 2861 भूमि किस्म झाड वन जंगलात होने के कारण ग्राम पंचायत के अधिकार के बाहर है। इसलिये अप्रार्थी सं.1 के कथन को कुछ समय के लिये मान भी लिया जाये तो क्षेत्राधिकार से बाहर पट्टा होने के कारण स्वतः निरस्त होने योग्य है। न्यायालय हाजा ने विवादित पट्टा भूमि आबादी है या नही इस कथन पर कोई गौर नही किया ना प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी पर अवलोकन या गौर किया है जिस पर गौर किया जाना निर्णय करते वक्त बहुत जरूरी था जो भूल एपेरेन्टली फेस आफ दी रिकार्ड से साबित है। सिवायचक भूमि अथवा अन्य भूमि का आवंटन अधिकार उपजिला कलक्टर को है। इस प्रकार की भूल व त्रुटि को पुनर्विलोकन के जरिये सुधारा जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। निर्णय न्यायालय हाजा दिनांक 10.12.2014 अपास्त किये जाने योग्य है। मुकदमा कल्लन बनाम चरण के निर्णय से निगरानी पर कोई प्रभाव नही पडता है उससे चरण कब्जे में व्यवधान पैदा न करने को पाबंद है। अन्य पक्षकारों पर फैसला बाध्यकारी नही है। पक्षकारान के मध्य चल रहे प्रकरण से भी निगरानी निर्णीत किये जाने में कोई बाधा नही है। पूर्व में रामचन्द्र सिंह बनाम रमजानी निगरानी अदालत दीवानी में मुकदमें लम्बित होते हुये रमजानी के फर्जी पट्टे को अदालत हाजा ने खारिज किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टा खारिज करने का एक मात्र अधिकार अपील में पंचायत समिति व निगरानी में श्रीमानजी को पंचायत एक्ट द्वारा दिया गया है। न्यायालय हाजा पट्टा कैन्सिल करने के लिये सक्षम न्यायालय है। महज दीवानी न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा के बाद लम्बित होने के आधार पर निगरानी में आदेश दिया जाना न्याय संगत ना मानने में विधि की त्रुटि की है। निर्णय निरस्त होने योग्य है। निगरानी पर कोई मियाद कानून नही है। अवैध व कपटपूर्ण पट्टे को कभी भी खारिज किया जाता है निगरानी के लिये कोई म्याद नही है। प्रकरण हाजा मियाद बाहर मानने में भूल की है। निर्णय निरस्त होने योग्य है। अन्य उज्रात पर वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेंगे। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र की सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस 2 रूपया चस्पा है।प्रार्थना पत्र रिव्यू निर्णय दिनांक 10.12.2014 से 30 दिवस में अंदर मियाद पेश है निर्णय की फोटो प्रति संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पुनः विलोकन पेश कर निवेदन है

जिला कलक्टर
करौली

कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय अदालत हाजा दिनांक 10. 12.2014 निरस्त फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि दर0 हाजा सरला टण्डन ने बाबत रिव्यू फैसला श्रीमान दिनांक 10. 12.2014 गैरकानूनी पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अन्तिम फैसला हो जाने पर अपील या निगरानी करने का कानूनी उपाय होता है जिसका प्रार्थीया ने उपयोग ना कर दर0 हाजा पेश कर दी है जो खारिज होने योग्य है। कानूनी चल रही पत्रावली के समस्त रिकार्ड को देखकर ही श्रीमान ने दिनांक 10.12.2014 को फैसला सादिर किया है जो सही एवं कानूनी है तथा तमाम उपलब्ध दस्तावेजात को श्रीमान ने बगैर पढकर माइण्ड एप्लाई कर फैसला किया है। ऐसी सूरत में रिव्यू की दर0 काबिल खारिज है। कोई अतिरिक्त साक्ष्य या दस्तावेज यदि पेश करना हो तो उसको सिविल न्यायालय में चल रहे दावे में पेश किया जा सकता है या अपील निगरानी की अदालत ही उसे कानून दिखाने पर देख सकती है। अदालत श्रीमान से अन्तिम फैसला हो जाने के कारण दर0 हाजा चलने योग्य नही है। आर.आर.डी. 2014 पेज 168 व पेज 703 पर स्पष्ट तौर पर कहां कि पत्रावली पर पूर्व से उपलब्ध रिकार्ड को देखने में भूल हुई हो त्रुटिपूर्ण निर्णय हो तो उसे पुनर्विलोकन के माध्यम से संशोधित नही किया जा सकता है। सरपंच के पास रिकार्ड नही है जमा कराना या नही कराना था सब सरपंचों की आपसी व प्रशासनिक खाते है परन्तु पूर्व के निर्णय में भी माननीय सिविल कोर्ट में सरपंच ने पट्टा देने बाबत बयान दिया तथा न्यायालय सिविल कोर्ट ने दिनांक 18.02. 1999 में निर्णय दिया है। सरला टण्डन की कोई हैसियत विवादित स्थान बाबत नही है उसके पास मालिकाना हुकूक का कोई दस्तावेज भी नही है परन्तु मुझ गरीब कल्लन को परेशान कर रही है। लिहाजा जवाब रिव्यू पेश कर अर्ज है कि दर0 हाजा को खारिज करने के आदेश मय खर्चा फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 24.01.1986 से दिनांक 31.03.1986 तक की कैशबुक एवं 13.04.1985 से 13.08.1985 तक का कार्यवाही रजिस्टर पेश किया गया। इसके अतिरिक्त ना तो जवाब पेश किया गया और ना ही बहस के लिए उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत लौहर्रा द्वारा खसरा संख्या 2861 किस्म जंगलात (ऊसर) में दिनांक 16.03.1986 को पट्टा जारी किया जाना अवगत करवाया गया है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है किसी अन्य किस्म की भूमि में ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किये गये रिकॉर्ड में भी अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का अंकन नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 2861 किस्म जंगलात (ऊसर) भूमि में अवैध रूप से पट्टा जारी करवाकर निर्माण करवा लिया है जो न्यायसंगत नहीं है। पूर्व में दायर निगरानी प्रकरण को अदालत हाजा द्वारा मियाद बाहर बताया जाकर एवं अप्रार्थी का कब्जा माना जाकर खारिज किया गया है। यह सुविचारित सिद्धांत है कि जब प्रकरण न्यायसंगत हो तब उसके लिए मियाद की सीमा नहीं रहती है। माननीय न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर अप्रार्थी नं. 1 का कब्जा माना है लेकिन अप्रार्थी नं. 1 ने फर्जकारी कर ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवाया है साथ ही ग्राम पंचायत को भी आबादी भूमि से भिन्न भूमि पर पट्टा जारी करने का का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार कर अप्रार्थी के पट्टे का खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है एवं अदालत हाजा का आदेश दिनांक 10.12.2014 को अपास्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत लौहर्रा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में खसरा नं. 2861 किस्म जंगलात (ऊसर) भूमि में जारी पट्टा दिनांक 16.03.1986 को खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खसरा संख्या 2861 किस्म जंगलात (ऊसर) भूमि में जारी पट्टा दिनांक 16.03.1986 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कराये गये निर्माण का ग्राम पंचायत कैलादेवी को कब्जा लेने हेतु आदेश दिया जाता है जिसका उपयोग ग्राम पंचायत कैलादेवी अथवा वन विभाग सार्वजनिक हित में ही करे अन्य किसी भी तरह के उपयोग में नहीं लेवे। ग्राम पंचायत लौहर्रा का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत कैलादेवी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली